

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-489 / 2011

संस्थित दिनांक-04.07.2011

श्यामबती यादव पति हरीराम, उम्र 58 साल, जाति अहीर
 निवासी-ग्राम बैहर, थाना बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- परिवादी

// **विरुद्ध** //

1. द्रौपतीबाई पति लक्ष्मी यादव, उम्र 45 साल, जाति अहीर
 निवासी ग्राम भीडी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)
2. लक्ष्मी प्रसाद पिता सुनऊलाल, उम्र 53 साल, जाति अहीर
 निवासी ग्राम भीडी थाना परसवाड़ा, जिला बालाघाट(म.प्र.)

----- आरोपीगण

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-10.07.2014 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-500 सहपठित धारा 34 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-26.09.2009 को समय लगभग 12:00 बजे ग्राम भीडी तहसील बैहर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत प्रार्थिया श्यामबतीबाई का मानहानि करने के सामान्य आशय निमित्त कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया को शोधन, डायन एवं तुम जादू टोना करती हो के शब्द उच्चारित कर उस पर झूठा लांछन लगाया, जिससे प्रार्थिया की ख्याती की अपहानि हुई।

2- संक्षेप में परिवादी पक्ष का परिवाद का सार इस प्रकार है कि परिवादी दिनांक-26.09.2009 को दिन के 12 बजे ग्राम भीडी, बैहर से अपने घर जा रही थी तो रास्ते में सोहन महाजन के घर पर मुलाकात करने गयी तो आरोपीगण उसके घर आये और उसे डायन एवं जादू टोने करने का ताना देकर लांछन लगाते हुए उससे झगडने लगे। आरोपीगण ने छूटा लांछन लगाकर उसे बदनाम किया और जान से मारने की धमकी दिये। इस प्रकार आरोपीगण ने

उसकी मान प्रतिष्ठा की अपहानि कारित हुई। अतएव आरोपीगण के विरुद्ध धारा 500 भा.द.वि. के अंतर्गत परिवाद पेश किये जाने पर प्रारम्भिक साक्ष्य उपरांत उक्त अपराध के अंतर्गत आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया जाकर अपराध पंजीबद्ध किया गया।

3— आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-500 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है तथा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-26.09.2009 को समय लगभग 12:00 बजे ग्राम भीड़ी तहसील बैहर आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत प्रार्थिया श्यामबतीबाई का मानहानि करने के सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया को शोधन, डायन एवं तुम जादू टोना करती हो के शब्द उच्चारित कर उस पर झूठा लांछन लगाया, जिससे प्रार्थिया की ख्याति की अपहानि हुई?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— श्रीमति श्यामबती यादव(प.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि घटना आज से लगभग 2-3 वर्ष पूर्व ग्राम भीड़ी की है। घटना के समय वह ग्राम भीड़ी अपने लडकी एवं दामाद के यहां जा रही थी, उस समय गांव में जवारा बाये थे। गांव के सभी लोग गाय, भैंस छोड़े थे। वह काशीराम के मकान के पास पहुंची थी तो उनके घर बुर्जुग सदस्य की तबियत खराब होने के कारण घर के अंदर चली गई। जहाँ पर आरोपीगण द्रौपती और लक्ष्मी तथा अन्य लोग मौजूद थे। आरोपी द्रौपती के हाथ में टंगिया का बेसा था। आरोपी द्रौपतीबाई ने उसे तेरी दाई को चोदू शोधन है, ऐसा बोली। आरोपीगण द्वारा उसे मारपीट करने पर आस-पड़ोस के लोगों ने उनको समझाया कि मार डालोगे तो तुम फंस जाओगे। आरोपीगण उसे शोधन है बोलते हुए मारपीट करते रहे। फिर काशीराम और उसकी पत्नि आयी और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गयी। उक्ता घटना को गली में खड़े सभी गांव वाले देख रहे थे। आरोपीगण उसे बोल रहे थे कि तेरा खून निकाल कर मंदिर में चढायेंगे तू शोधन है। उक्त बाते उसे

गंदी लगी। आरोपीगण सबके सामने उसे टंगिया लेकर मारने के लिए दौड़ते हुए बोल रहे थे कि काट डालेंगे। साक्षी का यह भी कहना है कि वह शोधन नहीं है और उसकी औलाद भी शोधन नहीं है।

6— उक्त साक्षी ने परिवादी के रूप में अपने परिवाद पत्र से हटकर साक्ष्य में बढ़ा-चढ़ाकर कथन किये हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में आरोपीगण द्वारा घटना के समय कथित मारपीट किये जाने के कथन किये हैं, जबकि उसके परिवाद पत्र, प्रारम्भिक साक्ष्य में इस तथ्य का लोप है। वास्तव में परिवादी के अनुसार घटना के समय परिवाद पत्र में उल्लेखित जिस विवाद का आरोपीगण से होना प्रकट किया गया है वह मामूली विवाद होना प्रकट होता है।

7— परिवादी की ओर से एक मात्र स्वतंत्र साक्षी कृष्णा (प.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी द्रौपतीबाई एवं परिवादी श्यामबतीबाई को जानता है। घटना के समय वह, मोतीराम और नारायण गाय चराने जा रहे थे तो सुना था कि काशीराम के यहां हल्ला हो रहा है। आरोपी द्रौपतीबाई और श्यामबतीबाई का झगड़ा हो रहा है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि परिवादी और आरोपीगण के मध्य किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि श्यामबती बाई ने उसे कहा था कि गवाही देने चलना है और उसे कुछ नहीं मालूम फिर भी श्यामबती बाई जबरदस्ती लेकर आ गई। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा अपनी साक्ष्य में परिवादी का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

8— परिवादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में अन्य स्वतंत्र साक्षी, समाज के व्यक्तियों अथवा स्थानीय लोगों की साक्ष्य पेश नहीं की गई है, जिनके द्वारा यह प्रकट किया गया हो कि आरोपीगण ने परिवादी को कथित अपमानजनक बातें कहकर उसकी लोक स्थान पर मानहानि की हो। परिवादी ने एकमात्र स्वतंत्र साक्षी को समर्थन में पेश किया है, किन्तु उसने परिवादी का समर्थन न करते हुए यह स्पष्ट कथन किया है कि उसे परिवादी ने जबरदस्ती साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में पेश किया है। परिवादी ने स्वयं अपनी साक्ष्य में अपने परिवाद एवं प्रारम्भिक कथन से हटकर अत्यंत बढ़ा-चढ़ाकर नये तथ्यों का समावेश करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध साक्ष्य पेश की है। परिवादी ने आरोपीगण के द्वारा कथित मारपीट करने के संबंध में अपने परिवाद एवं प्रारम्भिक साक्ष्य में कथन न करते हुए उक्त महत्वपूर्ण तथ्य का लोप किया है तथा न्यायालयीन कथन में

बढ़ा-चढ़ाकर विरोधाभासी कथन किये गये हैं, जिस कारण परिवादी श्यामबती की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। मामले में संदेहास्पद परिस्थितियाँ प्रकट होती हैं, जिनका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है। परिवादी ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है।

9— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत निष्कर्ष निकलता है कि परिवादी ने अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने घटना दिनांक व स्थान में प्रार्थिया श्यामबतीबाई का मानहानि करने के सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में एक राय होकर प्रार्थिया को शोधन, डायन एवं तुम जादू टीना करती हो के शब्द उच्चारित कर उस पर झूठा लांछन लगाया, जिससे प्रार्थिया की ख्याति की अपहानि हुई। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-500 सहपठित धारा 34 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

11— अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट